न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 95/2015 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2015/0006)

किशन पुत्र श्री रामजीलाल जाति धाकड निवासी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।
2. तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति धाकड निवासी वैर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.9.2015 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1041 दिनांक 14.9.2011 वाकै कोटापट्टी तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनसिंह वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री मोहनसिंह राना वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांकः– 13.09.2022.

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार वैर जिला भरतपुर द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश कमांक/राजस्व/12/2(35) 2009/11225–11233 दिनांक 9.9.2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1041 दिनांक 14.9.2011 के माध्यम से विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर तस्दीक किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 1041 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 पारित करते हुये नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने पर अपील खारिज की दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...सूखी है। यह कि अपीलान्ट की ओर से राजस्थान सरकार के विरूद्ध एक ... सूट नम्बरी दीवानी संख्या 234/93, 16/90 इस आशय का पेश किया था कि खसरा नम्बर 2482 जो 2480 एवं 2481 वाकै कोटापट्टी वैर में मिला हुआ है। इस आराजी में अपीलान्ट का बाग लगा हुआ है जिसमें नीबू, कैर, आम, आदि के पेड लगे हुये है उन पेडों को बर्बाद नहीं करें तथा बाग को नष्ट नहीं करें जो मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपीलान्ट के हक में डिक्री कर दिया गया तथा रैस्पो0 एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया गया था। आदेश सिविल न्यायाधीश क0ख0 वैर तारीखी 11.05.1994 से आज भी अस्तित्व में है। इसके अतिरिक्त दिनांक 04.07.2002 को अदालत श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने अपने फैसले दिनांक 04.07.2002 के माध्यम से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2482 वाकै कोटापट्टी वैर को खसरा नम्बर 2480 एवं 2481 का भाग मानते हुये तनकी संख्या 1 अपीलान्ट के हक में तय कर दी। इस प्रकार आदेश दिनांक 4.7.2002 भी अस्तित्व में है। राजस्थान सरकार ने आज तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी। उक्त तथ्यों को नजर–अंदाज करके दाखिल संख्या 1041 के माध्यम से रकबा को सिवायचक दर्ज कर दिया हैं जबकि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 2482 वाकै कोटापट्टी वैर अपीलान्ट के कब्जे की आराजी है जिसमें अपीलान्ट का बगीचा लगा हुआ है। इस तथ्य पर गौर किये बिना फैसला जेर अपील खिलाफ कानून पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ना देकर फैसला जेर अपील हर दो अदालतेन पारित करने में कानूनी भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः इस आधार पर तहसीलदार वैर व अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के हर दो आदेश निरस्त किये जावें क्योंकि अदालत मातहत ने दाखिल खारिज स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे के बारे में भी जांच नहीं की। इसलिए आदेश जेर अपील हरदो अदालतेन एवनीश्योवोईड होने के कारण काबिले मंसूखी है। इसके अलावा अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है तथा अपीलान्ट के खसरा नम्बर 2480 व 2481 में विवादित भूमि सम्मिलित है तथा इसी भूमि में अपीलान्ट का बाग लगाया हुआ है। नामान्तरकरण की आड में अपीलान्ट के बाग को बर्बाद करने पर उतारू है। वकील अपीलान्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कानून के मुताबिक जहां नियमितवाद बडे न्यायालय में लंबित है, वहां अदालत मातहत द्वारा संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील संख्या 55/2018 लंबित है इसलिए अदालत हाजा में लंबित कार्यवाही को स्थगित किया जावे। अपने तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2017(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या–1348 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही को सहायक कलक्टर के समक्ष वाद के निर्णय तक स्थगित किया क्योंकि दोनों मामलों में विवादित भूमि एक ही है, एक ही भूमि के संबंध में अनुतोष मांगा गया है। जब

13.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वाद लंबित है तो नामान्तकरण मामले में संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए। चूंकि उक्त प्रकरण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अदालत हाजा में चल रही अपील संबंधी कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर हर दो लायक तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 18.9.2015 एवं तहसीलदार वैर. का आदेश दिनांक 14.9.2011 खारिज किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट संख्या–2 ने तर्क दिया कि तहसीलदार वैर की ओर से पारित नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 14.09.2011 जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 09.09.2011 की पालना में खोला गया है। जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2422 रकबा 3.0 हैक्टेयर सिवायचक को गैर–मुमकिन रास्ते हेतु आरक्षित किया गया था। उक्त नामान्तकरण की अपील अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में किए जाने पर, अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी गुणावगुण के आधार पर अपील को खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित आराजी खसरा नम्बर 2482 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग रास्ता हेतु जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा दिनांक 9.9.2011 को आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1041 दिनांक 14.9.2011 स्वीकृत किया गया है। रिकार्ड एवं मौके पर विवादित आराजी गै0मु0 रास्ता में सी0सी0 सडक नगर पालिका द्वारा बनाई जा चुकी है तथा उक्त रास्ता रैस्पो0 के भूखण्ड के वजानिव उत्तर दिशा में है जिसका उपयोग रैस्पो0 व आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 9.9.2011 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 03.011.2017 के द्वारा खारिज कर दी गई है। अतः इस आधार पर भी अपील खारिज किए जाने योग्य है। सैट–अपार्ट आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत कर देने के कारण नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अर्थात जब तक जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश प्रभावी है अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई अनियमितता नहीं रहती है। तहत रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 9.9.2011 की पालना में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2482 रकबा 3.08 वीघा वाकै कोटापट्टी कस्बा वैर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक जिला कलक्टर भरतपुर का उक्त आदेश आस्तित्व में रहता है उसके आधार पर खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1041 किसी भी सूरत में अपास्त योग्य नहीं रहता है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी नहीं

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सकती है न ही नियमन ही किया जा सकता है। केवल मात्र सिविल न्यायालय में ण विचाराधीन होने के आधार पर ही किसी तरह की कोई राहत उक्त अपील में अपीलान्ट प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में उक्त सभी तथ्यों का परीक्षण किया गया है तथा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया है अपीलान्ट के द्वारा न तो तहत अदालत के समक्ष और ना ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.9.2011 को किसी भी सक्षम अदालत ने अपास्त कर दिया हो ऐसी सूरत में तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है। इस आधार पर वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया कि अपील अपीलान्ट बे–बुनियाद तथ्यों पर पेश की गई है इसलिऐ खारिज की जावे तथा हर दो तहत अदालतेन अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 18.9.2015 एवं तहसीलदार वैर का आदेश दिनांक 14.9.2011 यथावत रखे जावे।

रैस्पों0 संख्या–1 की ओर से सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तकरण जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 09.09.2011 की पालना में खोला गया है। विवादित भूमि नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित है जो कि आम रास्ते के काम में आ रही है तथा मौके पर सी.सी. सडक बनी हुई है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण अपीलान्ट को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2015 व तहसीलदार वैर की ओर से पारित नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 14.09.2011 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस की विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार, वैर द्वारा विवादित भूमि के संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से जारी आदेश क्रमांक राजस्व 12/2(35)/2009/11225–11233 दिनांक 09.09.2011 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 13.09.2011 को खोले जाने पर इसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किए जाने के पश्चात नामान्तकरण दिनांक 14.09.2011 स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में अपील इस आधार पर पेश की गई कि खसरा नंबर 2482 जो कि खसरा नंबर 2480 व 2481 से मिलता हुआ है, में अपीलान्ट का बाग–बगीचा लगा हुआ है जिसके संबंध में सिविल न्यायालय तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय किया हुआ है। इसलिए विवादित भूमि जो कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि से लगती हुई है, के संबंध में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 18.09.2015 के द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया है। उक्त निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उभयपक्षकारान बहस में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने अभिमत में यह स्पष्ट रूप से माना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 09.09.2011 की पालना में खोला गया है। विवादित भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किए जाने के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 04.07.2002 में दिए गए निर्णय की पालना में अपीलान्ट के पक्ष में हुए किसी निर्णय का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर नगरपालिका के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने और गैर–मुमकिन रास्ते का उपयोग आम नागरिकों के द्वारा किये जाने का उल्लेख वकील रैस्पों0 की ओर से किए जाने पर अपीलान्ट की ओर से इन तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया गया है। जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 09.09.2011 के प्रभाव में रहने तक अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं मानते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गई है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें भी विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या–234/93, 16/90 में पारित स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 11.05.94 व राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.07.2002 के अस्तित्व में होने तथा विवादित भूमि पर अपीलान्ट का बाग लगा होने के कारण अपील स्वीकार किए जाने की इस्तदुआ की गई है। परन्तु अदालत हाजा में वकील रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 03.11.2017 व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या–1 की ओर से अपील संख्या 33/17 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2017 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर अपील संख्या 55/2018 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2019 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी की ओर से पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील जिसमें जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से जारी आदेश दिनांक 09.09.2011 जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है, को यथावत रखा जाकर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया गया है। इसी प्रकार सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.05.94 जिसके विरूद्ध रैस्पों0 की ओर से अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 बयाना के न्यायालय में जो अपील संख्या 33/17 प्रस्तुत की गई थी, को खारिज किये जाने पर रैस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में द्वितीय अपील संख्या 55/2018 प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2019 के द्वारा मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.05.94 तथा अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 09.11.2017 को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया है, से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से जारी आदेश दिनांक 09.09.2011 की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 14.09.2011 खोला गया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न में भी प्रभावी है। तथा वकील अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय के द्वारा उसके न पारित जिस डिक्री का उल्लेख किया जा रहा है उसकी कियान्विति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय व राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय से अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री की हुई है, सारहीन हो जाता है। वैसे भी नामान्तकरण संबंधी प्रक्रिया वित्तीय कार्यवाही है, जिसके द्वारा किसी भी पक्ष के हक हकूक आदि तय नहीं किये जा सकते है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तकरण जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 09.09.2011 की पालना में खोला जाकर स्वीकृत हुआ है तथा उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के बाद स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय दिनांक 18.09.2015 को पारित किया है। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 2017(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या–1348 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत है परन्तु उक्त प्रकरण तथा नजीर में वर्णित प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। क्योंकि अदालत हाजा में जो अपील प्रस्तुत की गई है वह अपीलान्ट द्वारा ही नामान्तकरण संख्या 1041 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 18.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थति में अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में किये जाने वाली कार्यवाही को स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। क्योंकि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के गुणावगुण के आधार पर उक्त प्रकरण में निर्णय किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2015 व नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 14.09.2011 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर